फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

राज0 सरकार वनाम विरेन्द्र कुमार

प्रार्थना पत्र संख्या : 43/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वावत मौके पर से चिमनी अवशेष हटा लिये जाने हेतु पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की वहस का मनन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने विा मौका निरीक्षण किये मिथ्या जॉच रिपोर्ट पेश की है। अप्रार्थी की उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिए पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर खरीद की थी। विगत 15 वर्षो से उक्त भूमि मे कोई भटटा संचालित नही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीद करने से पूर्व भूमि मे ईट उधोग संचालित था, अप्रार्थी को खरीद किये करीबन 15–20 वर्ष हो गये है। जिसमें विगत 15 वर्षो में कोई भटटा संचालित नही है, मौके पर भटटे अवशेष जरूर पडे हुए है। भूमि मौके पर खाली पडी हुई है तथा भूमि मे विलायती बबूल के पेड लगे हुए है तथा मौके पर कृषि कार्य में उपयोग उपभोग में आ रही है। बेदखली की कोई कार्यवाही भू स्वामित्व के विरूद्व हानी. प्रद कार्य व शर्त भंग करने की श्रेणी मे नही होने से बेदखली की श्रेणी में नही आती है। अतः वादपत्र खारिज योग्य है। वादांकित सम्पत्ति में अप्रार्थी रिकार्डेड काविज खातेदार काश्तकार है, जिसंकी खसरा गिरदावरियों में भूमि में मौके पर कोई भटटा संचालित होना या चालू होना प्रमाणित नही है, यदि मौके पर कोई भटटा चालु या संचालित होता तो राजस्व अभिलेख यथा खसरा गिरदावरी में अवश्य उल्लेख होता, परन्तु हल्का पटवारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मिथ्या रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी के विरूद्व मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाया है जो प्रकम के इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी की उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिए पंजिकृत विकय के आधार पर कृषि प्रयोजनार्थ खरीद की थी। विगत 15 वर्षो से उक्त भूमि में कोई भटटा संचालित नही है। मात्र चिमनी के अवशेष थे, जिनको प्रार्थी के द्वारा चिमनी अवशेष को ध्वस्त कर हटा दिया गया है। जिसके मौका स्थिति फोटों प्रस्तुत है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व पेश कार्यवाही को खांरिज फरमाने की कृपा करें। . पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम डांगरवाडा खुर्द तहसील जमवारामगढ मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 1.7200है0 किस्म बारानी 1 पर गैर कृषि कार्य ईट भटटा संचालन करने पर सम्पूर्ण भूमि .को सिवाय चक घोषित किया जाकर खातेदार को बेदखली आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब अप्रार्थी एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधि0 की कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हों।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0

प्रार्थना पत्र सं0 ..../2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1. विरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता जाति महाजन निवासी 121, गोविन्द नगर पूर्व विस्तार, आमेर रोड, जिला जयपुर राज0।

.... अप्रार्थी

वाद बाबत बेदखली एवं सिवायचक करने बाबत
अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार की ओर से राजहित में अलावा दीगर वजुहात के प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि ग्राम डांगरवाडा खुर्द पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खाता सं. 173 में अंकित खसरा नम्बर 134 रकबा 1.7200है0 किस्म बारानी 1 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी विरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता जाति महाजन निवासी 121, गोविन्द नगर पूर्व विस्तार, आमेर रोड, जिला जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि भूमि है तथा प्रार्थी भूमिधारी है।
2. यह कि पटवारी हल्का लांगडियावास के जॉच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 1.7200है0 किस्म बारानी 1 पर गैर कृषि कार्य ईट भट्टा का संचालित कर बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है।
3. यह कि अप्रार्थी को तहसील कार्यालय द्वारा भी नोटिस कमांक/आर0ए0/2020/ 2224 दिनांक 30.12.2020 जारी किया जाकर ईट भट्टा संचालित के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन अप्रार्थी द्वारा स्वयं या प्रतिनिधि तथा किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही हो कर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।
4. यह कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में कराये जा रहे अकृषि प्रयोजनार्थ संचालित ईट भट्टा प्रार्थी के भू स्वामित्व के विरुद्ध होकर हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण बेदखली की श्रेणी में आता है।

तहसीलदार,
जमवारामगढ़, जयपुर (राज.)

5. यह कि अप्रार्थी द्वारा मौके पर कृषि भूमि पर की जा रही कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है।

6. यह कि अप्रार्थी द्वारा धारित खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगणों को बेदखल किया जाकर भूमि को सिवाय चक किया जाना न्यायोचित है।

7. यह कि कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी की भूमि पर भूमि धारण करने वाले खातेदारों द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया गया है, जिसके लिए खातेदारान को मौके से बेदखल किया जाना आवश्यक है।

8. यह कि अप्रार्थी खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि मुतदावियां भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम डांगरवाडा खुर्द पटवार मण्डल लांगडियावास तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 1.7200है0 किस्म बारानी 1 पर गैर कृषि कार्य ईट भट्टा संचालन करने पर सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर खातेदार को बेदखल करने के आदेश प्रदान करें एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करें।

दिनांक

प्रार्थी

तहसीलदार,
जमवारामगढ़, जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,
तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर